रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. No. D. L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 579] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 16, 2000/कार्तिक 25, 1922

No. 579] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 16, 2000/KARTIKA 25, 1922

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2000

सा.का.नि. 871(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित कियां जाता है :

''सं. आ. 182

संविधान (राजस्व वितरण) सं0 5 (संशोधन) आदेश, 2000

राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) की धारा 36, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 29) की धारा 41 और बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 40 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 270 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संविधान (राजस्व वितरण) सं0 5 आदेश, 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :--

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं0 5 (संशोधन) आदेश, 2000 है ।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

3. संविधान (राजस्व वितरण) सं0 5 आदेश, 2000 में,--

(क) पैरा 3 मे,--

(i) उप-पैरा (1) में, सारणी के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह कि,--

(क) मध्य प्रदेश राज्य को, जैसा कि वह 1 नवम्बर, 2000 के ठीक पूर्व विद्यमान था, संदेय अंश, उस तारीख से छतीसगढ़ राज्य और मध्य प्रदेश राज्य को, 2.385 6.453 के अनुपात में संदेय समझा जाएगा ;

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य को, जैसा कि वह 9 नवम्बर, 2000 के ठीक पूर्व विद्यमान था, संदेय अंश, उस तारीख से उत्तरांचल राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य को, 0.661 : 19.137 के अनुपात में संदेय समझा जाएगा ; और

(ग) बिहार राज्य को, जैसा कि वह 15 नवम्बर, 2000 के ठीक पूर्व विद्यमान था, संदेय अंश, उस तारीख से झारखंड राज्य और बिहार राज्य को, 3.008 : 11.589 के अनुपात में संदेय समझा जाएगा ;";

(ii) उप-पैरा (2) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि,--

(क) मध्य प्रदेश राज्य को, जैसा कि वह 1 नवम्बर, 2000 के ठीक पूर्व विद्यमान था, संदेय अंश, उस तारीख से छतीसगढ़ राज्य और मध्य प्रदेश राज्य को, 2.416 : 6.538 के अनुपात में संदेय समझा जाएगा ;

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य को, जैसा कि वह 9 नवम्बर, 2000 के ठीक पूर्व विद्यमान था, संदेय अंश, उस तारीख से उत्तरांचल राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य को, 0.669 : 19.388 के अनुपात में संदेय समझा जाएगा ; और

(ग) बिहार राज्य को, जैसा कि वह 15 नवम्बर, 2000 के ठीक पूर्व विद्यमान था, संदेय अंश, उस तारीख से झारखंड राज्य और बिहार राज्य को, 3.047 : 11.741 के अनुपात में संदेय समझा जाएगा ;";

(ख) पैरा 4 में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि,--

(क) मध्य प्रदेश राज्य को, जैसा कि वह 1 नवम्बर, 2000 के ठीक पूर्व विद्यमान था, संदेय अंश, उस तारीख से छतीसगढ़ राज्य और मध्य प्रदेश राज्य को, 2.385 : 6.453 के अनुपात में संदेय समझा जाएगा ;

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य को, जैसा कि वह 9 नवम्बर, 2000 के ठीक पूर्व विद्यमान था, संदेय अंश, उस तारीख से उत्तरांचल राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य को, 0.661 : 19.137 के अनुपात में संदेय समझा जाएगा ; और

(ग) बिहार राज्य को, जैसा कि वह 15 नवम्बर, 2000 के ठीक पूर्व विद्यमान था, संदेय अंश, झारखंड राज्य और बिहार राज्य को, उस तारीख से 3.008 : 11.589 के अनुपात में संदेय समझा जाएगा ।"; ।

के. आर. नारायणन,
राष्ट्रपति।"

[फा.सं. 19(9)/2000-वि. I]
सुभाष चन्द्र जैन, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2000

G.S.R. 871 (E).—The following Order made by the President is published for general information :

"C.O. No. 182

In exercise of the powers conferred by article 270 of the Constitution, read with section 36 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (28 of 2000), section 41 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (29 of 2000) and section 40 of the Bihar Reorganisation Act, 2000 (30 of 2000), the President hereby makes the following Order to amend the Constitution (Distribution of Revenues) No. 5 Order, 2000, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 5 (Amendment) Order, 2000.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. In the Constitution (Distribution of Revenues) No. 5 Order, 2000,—

(*a*) in paragraph 3, —

(*i*) in sub-paragraph (1), after the Table, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the share payable to—

(A) the State of Madhya Pradesh as it existed immediately before the 1st day of November, 2000, shall be construed, as from that date, as payable to the State of Chhattisgarh and the State of Madhya Pradesh in the proportion of 2.385:6.453;

(B) the State of Uttar Pradesh as it existed immediately before the 9th day of November, 2000, shall be construed, as from that date, as payable to the State of Uttaranchal and the State of Uttar Pradesh in the proportion of 0.661:19.137;

(C) the State of Bihar as it existed immediately before the 15th day of November, 2000, shall be construed, as from that date, as payable to the State of Jharkhand and the State of Bihar in the proportion of 3.008: 11.589;" ;

(*ii*) in sub-paragraph (2), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that the share payable to—

(A) the State of Madhya Pradesh as it existed immediately before the 1st day of November, 2000, shall be construed, as from that date, as payable to the State of Chhattisgarh and the State of Madhya Pradesh in the proportion of 2.416:6.538;

(B) the State of Uttar Pradesh as it existed immediately before the 9th day of November, 2000, shall be construed, as from that date, as payable to the State of Uttaranchal and the State of Uttar Pradesh in the proportion of 0.669:19.388;

(C) the State of Bihar as it existed immediately before the 15th day of November, 2000, shall be construed, as from that date, as payable to the State of Jharkhand and the State of Bihar in the proportion of 3.047:11.741.";

(*b*) in paragraph 4, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that the share payable to—

(A) the State of Madhya Pradesh as it existed immediately before the 1st day of November, 2000, shall be construed, as from that date, as payable to the State of Chhattisgarh and the State of Madhya Pradesh in the proportion of 2.385:6.453;

(B) the State of Uttar Pradesh as it existed immediately before the 9th day of November, 2000, shall be construed, as from that date, as payable to the State of Uttaranchal and the State of Uttar Pradesh in the proportion of 0.661:19.137;

(C) the State of Bihar as it existed immediately before the 15th day of November, 2000, shall be construed, as from that date, as payable to the State of Jharkhand and the State of Bihar in the proportion of 3.008:11.589.".

K. R. NARAYANAN,
President."

[F. No. 19(9)/2000-LI]
SUBHASH C. JAIN, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054